भारत INDIA | भारतीय गैर न्यायिक | INDIA

RUPEES

20000

Rs.20000 | INDIA NON JUDICIAL | Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 10,25,000/
2.	मालियत	:	रु0 6,11,000/
3.	स्टाम्प	:	रु0 1,03,000/
4.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
5.	परगना	:	बिजनौर
6.	ग्राम	:	बरौना
7.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–788

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 232716

-2-

8.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
9.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.5560 हेक्टेअर
10.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
11.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
*	बोरिंग/कुआँ/अन्य	:	नहीं

चौहद्दी

खसरा नं0 78

पूरब	: खसरा संख्या–77
पश्चिम	: खसरा संख्या–13
उत्तर	: खसरा संख्या 81
दक्षिण	: खसरा संख्या–13, 77

RUPEES

Rs.20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 232715

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी छेदा, निवासिनी–डाकनालेडा मजरा बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ	:	सुन्दरी लाल पुत्र शिवदास निवासी–गिर्जापुर, सिदारी, पोस्ट–नबगाँव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0
व्यवसाय – गृहणी		व्यवसाय – कृषि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23/716

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी छेदा, निवासिनी—बक्कसखेड़ा मजरा अहीना, परगना—बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवं बुद्दी लाल पुत्र शिवदास निवासी—मिर्जापुर, मिठारी, पोस्ट—नवगांव, जिला—फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.5560 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम– बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, [illegible] व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवार्षिक खाता खतौनी [illegible] संख्या 636 के अनुसार [illegible] भूमि विक्रेता के नाम का अमल [illegible] राजस्व अभिलेखों में हो गया है. पंचवार्षिक खतौनी संख्या–695 खसरा संख्या–[illegible] फसली वर्ष [illegible] से 1418 के अनुसार [illegible] दर्ज है किन्तु [illegible] अधिकार प्राप्त होने का वर्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उपरोक्त आराजी/भूमि के [illegible] रू0 10,29,990/- (रुपया दस लाख उन्तीस हजार नौ सौ नब्बे मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता सही स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता बुद्धी लाल पुत्र शिवदास निवासी मिर्जापुर, गिरारी, पोस्ट–ललगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 के पक्ष उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे इस विलेख के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या अन्य इत्यादि नहीं है एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

1389 फसली है, अर्थात विक्रीत भूमि का पट्टा 10 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए शासनादेश अनुसार विक्रेतागण को संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो गया है। उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के [illegible] इस विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता [illegible] घोषित करता है कि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]

-२-

विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को [illegible] बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग के अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 089484

कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उनके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावें तो क्रेता उनके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 059383

खर्चा विक्रेता की चल अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। इस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता बिक्रयशुदा सम्पत्ति को सम्बन्धित शासकीय राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व अदा करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता -

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

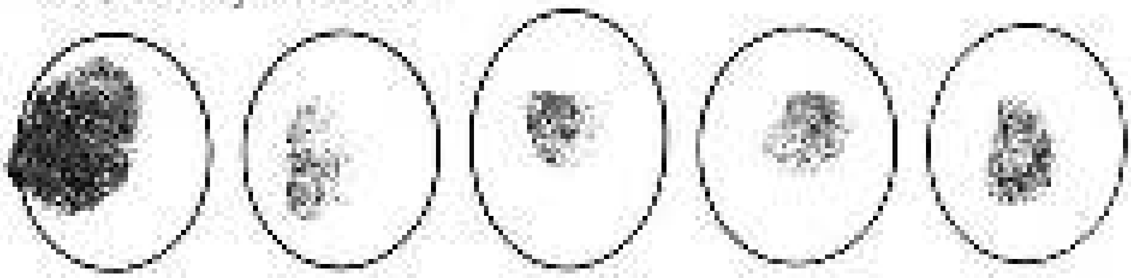

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

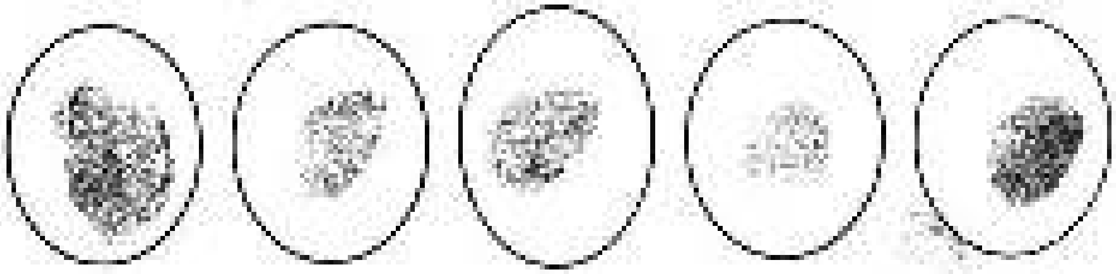

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:-

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

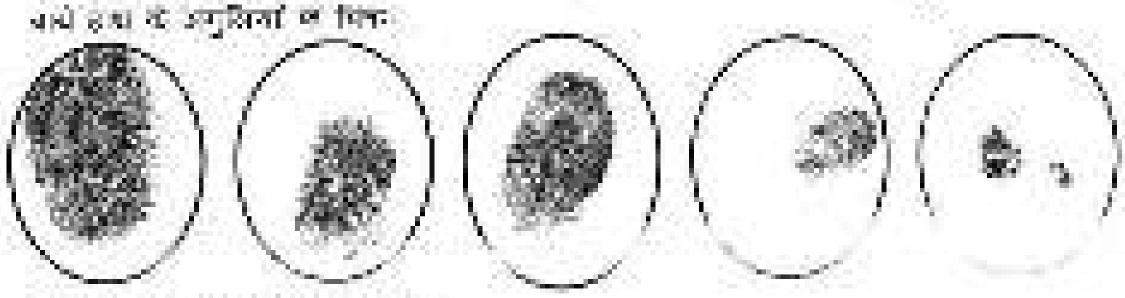

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह-

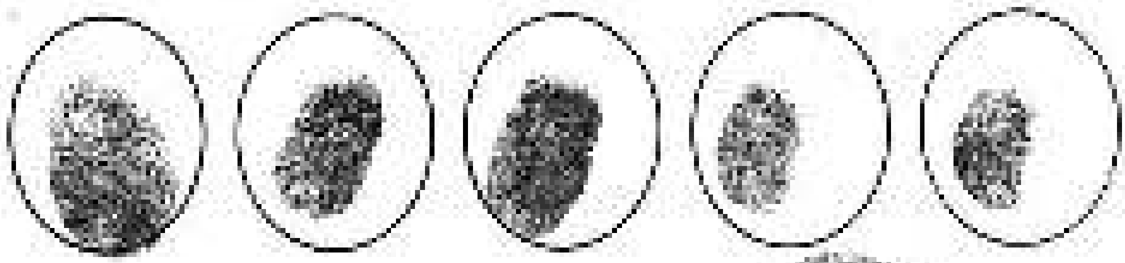

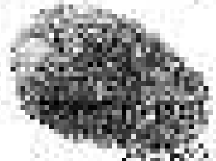

... के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No: [illegible] Year : [illegible] Book No. [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

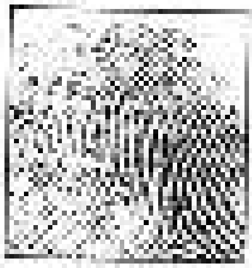

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 10,00,000/- (रुपया दस लाख मात्र) द्वारा चेक संख्या [illegible] रू0 5,00,000/- दिनांकित 23.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, [illegible] लखनऊ, केन्द्र से प्राप्त किये।
2. विक्रेता ने रू0 29,900/- (रुपया उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) द्वारा चेक संख्या [illegible] दिनांकित 23.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा [illegible], लखनऊ क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 10,29,900/- (रुपया दस लाख उन्तीस हजार नौ सौ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोट: पृष्ठ 13 पर चेक संख्या [illegible] से लिखी गयी है।

लखनऊ

दिनांक: 23.12.2006

गवाह:

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

क्रेता

मसविदाकार

[illegible]

सिविल कोर्ट, लखनऊ

(शैलेन्द्र कुमार दुबे)

[illegible]

[illegible]

Registration No: [illegible] Year: [illegible] Deed No: [illegible]

[illegible]

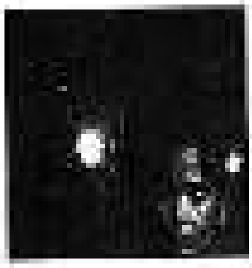

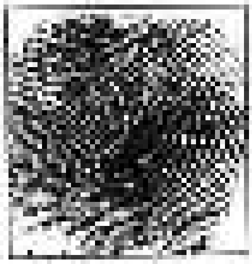

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.5550 हेक्टेयर की मालियत रू0 6,11,000/- होती है. चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की निर्धारित मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,03,000/- [illegible] स्टाम्प शुल्क दिया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि राष्ट्रीय पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट - विवरण विक्रीत [illegible]

भूमि खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.5550 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

[illegible]

[illegible]

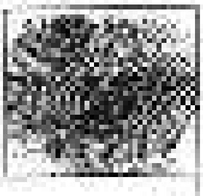

[illegible]

राकेश शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
20.1.2006

[illegible]

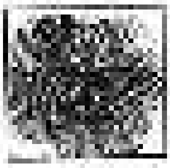

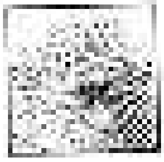

[illegible]

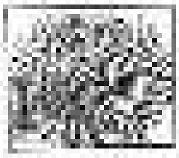

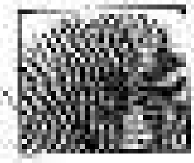

[illegible]

राकेश शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
20.1.2006

<u>नक्शा नजरी</u>

ग्राम :

खसरा संख्या:-

विक्रेता :

क्रेता

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित (अन्य सम्पत्तियों का विवरण

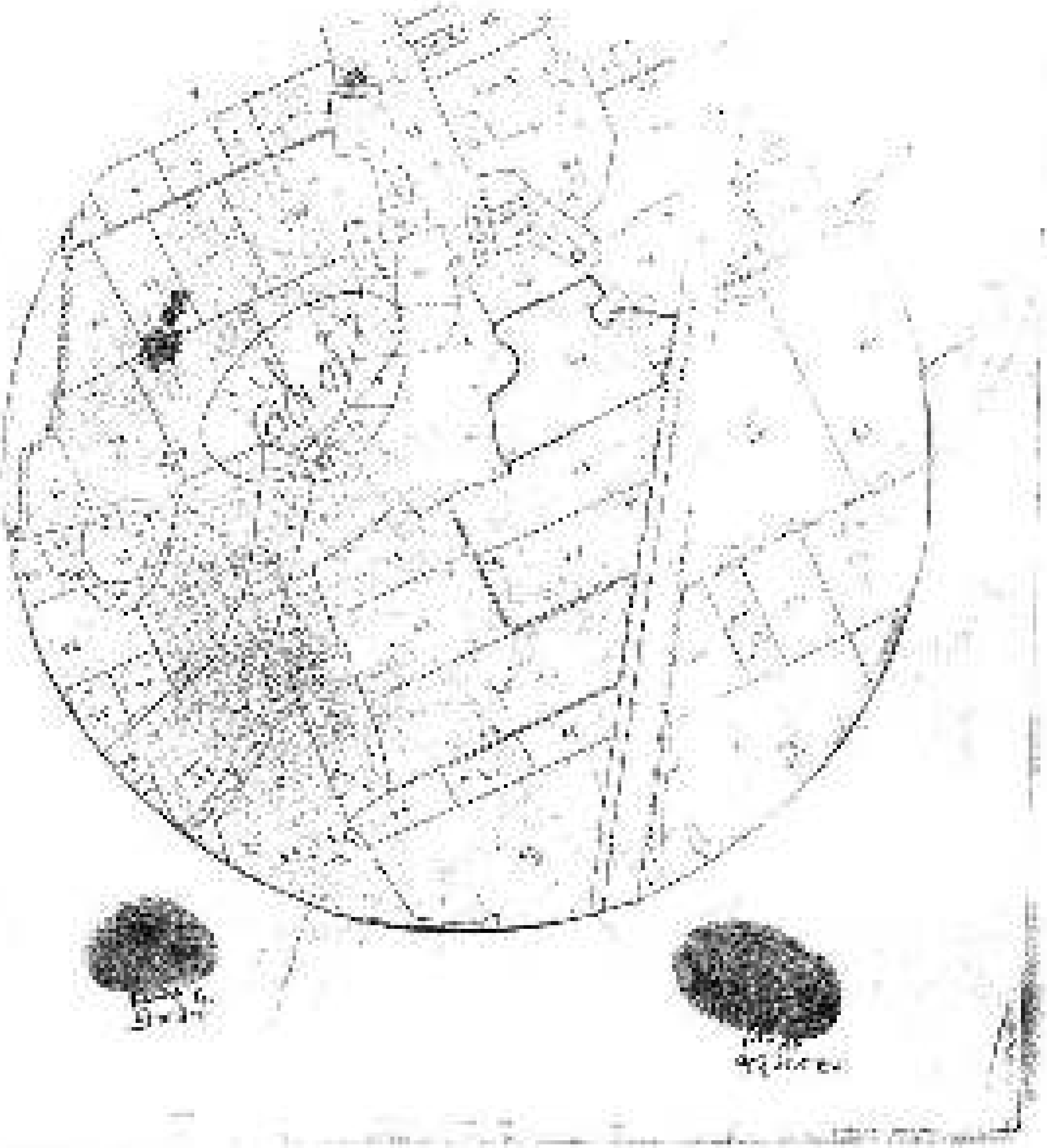

आज दिनांक 23/12/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 8087

पृष्ठ सं 43 से 78 पर क्रमांक 11034

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

राकेश शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
23/12/2006